अत्यंत महत्वपूर्ण

पत्रांकः 6-680 / म0भो0प्रा0 / 2015-16 दिनांक 15 अप्रैल, 2015

प्रेषकः-

सचिव,

बेसिक शिक्षा,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत समन्वयक व कम्प्यूटर ऑपरेटर की संविदा अवधि के ससमय नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में संचालित है। योजना के संचालन हेतु प्रदेश स्तर पर मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण गतिमान है तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति गठित है। प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयानुसार प्रत्येक मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), एवं प्रत्येक जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन एक समन्वयक तथा एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की संविदा के आधार पर तैनाती की व्यवस्था है। समन्वयकों व कम्प्यूटर ऑपरेटरों के चयन के सम्बन्ध में मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार समन्वयक व कम्प्यूटर ऑपरेटर की संविदा अवधि 01 वर्ष नियत है। संतोषजनक सेवाओं के आधार पर संविदा अवधि का नवीनीकरण मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त किये जाने का प्राविधान है।

विगत वर्षों में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय कारणवश कतिपय मण्डल / जनपद में समन्वयक / कम्प्यूटर ऑपरेटर की संविदा अवधि का नवीनीकरण समय से नहीं हो पाता है, जिससे कार्मिकों का नियत मानदेय भी प्राप्त नहीं हो पाता है। संविदा अवधि का नवीनीकरण न होने से कार्मिकों के मनोबल तथा कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे योजना सम्बन्धित कार्य अन्यथा प्रभावित होता है।

उक्त स्थिति के दृष्टिगत दिनांक 23.02.2015 को सम्पन्न मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति की 19वीं बैठक में प्रकरण पर एजेण्डा बिन्दु-7 के माध्यम से चर्चा की गयी। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मण्डल / जनपद में कार्यरत समन्वयक / कम्प्यूटर ऑपरेटर की संविदा अवधि का नवीनीकरण गत वर्ष की संतोषजनक सेवाओं को देखते हुये ससमय अवश्य कर लिया जाय।

OK **(एच0एल0 गुप्ता)**

सचिव,

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0) व समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्मिकों की संविदा अवधि के नवीनीकरण सम्बन्धित कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित की जाय।

(एच0एल0 गुप्ता)

सचिव,